न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी :– पीयुष समारिया
आई0ए0एस0

प्रार्थना पत्र सं0 15/2020

1. मैसर्स खुश हाउसिंग फाईनेंस प्राइवेट लिमिटेड कार्यालय वैशाली नगर जयपुर जरिये प्राधिकृत अधिकारी हर्षीता कनोजिया।

....प्रार्थी

बनाम

1. कैलाश चन्द शर्मा पुत्र रामसहाय जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम डिडवाना तहसील लालसोट जिला दौसा।
2. सावित्री देवी पत्नि कैलाश चन्द शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम डिडवाना तहसील लालसोट जिला दौसा।

...... अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अ0धा0 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम– 2002 बंधक सम्पत्ति का कब्जा सुपुर्दगी बाबत।

उपस्थिति : श्री सीताराम दायमा, अधिवक्ता प्रार्थी।

आदेश

दिनांकः 14.10.2020

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी कम्पनी मैसर्स खुश हाउसिंग फाईनेंस प्राइवेट लिमिटेड ने अप्रार्थी/ऋणीगण कैलाश चन्द शर्मा पुत्र रामसहाय जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम डिडवाना तहसील लालसोट जिला दौसा व अन्य को 15,00,000/–(रूपये पन्द्रह लाख) की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। ऋण सुविधा उपलब्ध कराते समय ऋणी द्वारा पुनः भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में परिसम्पत्ति के रूप में हाईपोथिकेशन किया गया। अप्रार्थी ऋणी द्वारा बैक का ऋण भुगतान करने में असफल रहने व समय पर ऋण राशि मय ब्याज अदा नहीं करने पर उक्त अधिनियम की धारा 13/2 के अंतर्गत अप्रार्थी ऋणी को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नही करने पर प्रार्थी द्वारा अपने पास बतौर जमानत रहन रखी गयी सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त हेतु **The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of the security interest act.2002** की धारा 14 के तहत निवेदन किया है।

अधिवक्ता प्रार्थी कम्पनी मैसर्स खुश हाउसिंग फाईनेंस प्राइवेट लिमिटेड को सुना गया। हमने प्रार्थी कम्पनी मैसर्स खुश हाउसिंग फाईनेंस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। अप्रार्थीगण ऋणी द्वारा प्रार्थी कम्पनी मैसर्स खुश हाउसिंग फाईनेंस प्राइवेट लिमिटेड को ऋण भुगतान करने में असफल रहने व समय पर ऋण राशि मय ब्याज अदा नहीं करने पर उक्त अधिनियम की धारा 13/2 के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को रजिस्टर्ड एवं जरिये समाचार पत्रों नोटिस जारी करने पर ऋण राशि का शर्तो के मुताबिक भुगतान नहीं करने पर **The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of the security interest act.2002** की धारा 14 प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र के अनुसार बंधक रखी गई सम्पत्ति अप्रार्थी कैलाश शर्मा पुत्र रामसहाय जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम डिडवाना तहसील लालसोट जिला दौसा के नाम ग्राम डिडवाना में आबादी भूमि पट्टा संख्या 30 दिनांक 28.10.2016 जिसका कुल क्षेत्रफल 308.18 वर्गगज एवं उत्तर दिशा में ग्राम पंचायत की आबादी भूमि व पशु चिकित्सालय, दक्षिण दिशा में मकान महादेव कुम्हार का, पूर्व दिशा में स्वयं की आबादी भूमि व पश्चिम दिशा में आम रास्ता है। उक्त बंधक रखी गई सम्पत्ति जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा आदि जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग है, का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी कम्पनी मैसर्स खुश हाउसिंग फाईनेंस प्राइवेट लिमिटेड को, किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश प्रभावी नहीं हो तो, नियमानुसार आवश्यक होने पर पर्याप्त पुलिस बल पुलिस अधीक्षक, दौसा से प्राप्त कर कब्जा प्राप्त करने के आदेश दिये जाते है। पत्रावली फैसल शुमार हो एवं नम्बर से कम हो। आदेश आज दिनांक 14.10.2020 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(पीयुष समारिया)
जिला कलेक्टर,दौसा

जिला कलेक्टर,दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official